पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 917/2017

==========

1. अनिल कुमार सिंह
2. पशुपति सिंह
3. सिया राम प्रसाद सिंह सभी पुत्र स्वर्गीय हीरा प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- तरवाड़ा, थाना- नौबतपुर, जिला पटना

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अनुज कुमार
2. मनोज कुमार दोनों पुत्र स्वर्गीय कुमार उमेश चंद्र सिंह
3. ब्रजेश चंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश कुमार कुंवर, सभी निवासी गाँव- तरवाना, थाना नौबतपुर, जिला पटना
4. राम कुमार सिंह
5. राम पादराथ सिंह
6. कृष्ण कुमार सिंह
7. अरुण सिंह सभी पुत्र स्वर्गीय राम किंकर प्रसाद सिंह
8. अजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय लाल नारायण सिंह सभी निवासी गाँव-तरवाना, थाना नौबतपुर, जिला पटना

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री सिद्धार्थ हर्ष, अधिवक्ता
प्रतिवादी सं.4-8 के लिए	:	श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता श्री निशिकांत अधिवक्ता
प्रतिवादी सं. 1-3 के लिए	:	श्री जय प्रकाश वर्मा

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

• सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 और धारा 151

संदर्भित मामले:

• पदम सेन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1961 एससी 218 में रिपोर्ट किया गया

याचिका - आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा शीर्षक वाद में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 और धारा 151 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।

निर्णय - शीर्षक वाद प्रारंभिक चरण में है, लेकिन विवादित आदेश से यह स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अभी तक विवाद के मुद्दों का निर्धारण नहीं किया गया है। (पैरा 8)

स्थानीय जांच का आदेश न्यायालय द्वारा किसी विवादित विषय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से दिया जा सकता है, यदि वह इसे आवश्यक या उचित समझे। यह आवेदन प्रारंभिक चरण में ही अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए दायर किया गया था, जब न्यायालय के लिए ऐसे किसी बिंदु को स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई थी। यह आवेदन विवाद के मुद्दों के निर्धारण से पूर्व ही दायर किया गया था। जब पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दावे को साबित करने के लिए मुद्दों के निर्धारण के बाद साक्ष्य प्रस्तुत करें, तो जब तक न्यायालय को किसी बिंदु को स्पष्ट करने की आवश्यकता न हो, अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति उचित नहीं होती।

इसके अलावा, प्रत्येक पक्ष को अपने स्वयं के साक्ष्यों के आधार पर अपना मामला साबित करना होता है और पक्षकार न्यायालय का उपयोग साक्ष्य एकत्र करने के लिए नहीं कर सकते। इस प्रकरण में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए दायर आवेदन केवल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया प्रतीत होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। (पैरा 10)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा 13)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ती: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तारीखः 06-02-2025

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. यह तत्काल याचिका विद्वान उप न्यायाधीश चतुर्थ, दानापुर द्वारा पारित दिनांक 14.02.2017 के आदेश को अपास्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत वादी/प्रतिवादी प्रथम समूह द्वारा स्वामित्व वाद संख्या 433/2013 में अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश 26 नियम 9 और दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 (संक्षेप में "संहिता") के तहत दायर आवेदन को स्वीकृत किया गया है। इसके बाद, वादकालीन आवेदन दायर करके, दिनांक 16.01.2018 के प्रतिवेदन के विरुद्ध आगे राहत मांगी गई है, जिसे विद्वान अधिवक्ता-आयुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादी ने बिना किसी दस्तावेज के पूर्ण रूप से तुच्छ वाद दायर किया है और साक्ष्य बनाने के लिए, उन्होंने संहिता के आदेश 26 नियम 9 के तहत आवेदन दायर किया और विद्वान विचारण न्यायालय ने गलती से उक्त आवेदन को यह उल्लेख करते हुए स्वीकृत किया कि वाद

की संपत्ति पर अधिकारों और कब्जे को सुनिश्चित करने के लिए, अधिवक्ता-आयुक्त का प्रतिवेदन आवश्यक था और इस तरह वादी द्वारा संहिता के आदेश 26 नियम 9 के तहत दायर आवेदन में उल्लिखित बिंदुओं पर अधिवक्ता-आयुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन को स्वीकृत कर लिया। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि वादी का दावा इस तथ्य पर आधारित है कि जगदीश कुमार कुंवर ने याचिकाकर्ताओं के पिता हीरा प्रसाद सिंह के साथ-साथ प्रतिवादी सं.4,5,6,7 के पिता राम किंकर प्रसाद सिंह और प्रतिवादी सं. 8 के दादा से, क्रमशः 1935 और 1936 में निपटान के माध्यम से दावे वाली सम्पत्ति प्राप्त की थी। लेकिन यह दावा गलत है और क्योंकि हीरा प्रसाद सिंह को 1963 के बाद विभाजन वाद संख्या 55 के माध्यम से 1963 के बाद विभाजन के माध्यम से वाद की संपत्ति का हिस्सा आवंटित किया गया था। दूसरी ओर, राम किंकर प्रसाद सिंह को स्वामित्व विभाजन वाद सं. 1958 का 52/1959 का 15 के माध्यम से वाद संपत्ति मिली जिसमें अंतिम निर्णय 03.02.1964 को तैयार किया गया था और इस प्रकार, 1964 में राम किंकर सिंह और उनके बेटों को वाद भूमि की अनुसूची 2 आवंटित की गई थी। यदि वाद संपत्ति क्रमशः 1963 और 1964 में हीरा प्रसाद सिंह और राम किंकर प्रसाद सिंह के हिस्से में आई थी, तो उनके लिए हुकुमनामा जारी करना या 1935,1936 में जगदीश कुमार कुंवर के पक्ष में वाद भूमि का बन्दोबस्त करना संभव नहीं था। जब राम किंकर प्रसाद सिंह के बेटों के परिवार में 1970 के स्वामित्व विभाजन वाद संख्या 180 के अनुसार विभाजन हुआ, तो अनुसूची 2 की भूमि को शामिल किया गया और विभाजित किया गया और अंतिम निर्णय/आज्ञप्ति 13.03.1974 को तैयार की गई। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जगदीश कुमार कुंवर के जीवनकाल में उनकी पारिवारिक संपत्तियों का विभाजन हुआ था और एक समझौता आज्ञप्ति पारित किया गया है। लेकिन उक्त विभाजन में, वर्तमान वाद संपत्ति को शामिल नहीं किया गया था और यह दर्शाता है कि वाद भूमि जगदीश प्रसाद कुंवर या उनके बेटों की नहीं है। उक्त विभाजन का वाद स्वामित्व विभाजन वाद संख्या 61/1970 का था जिसमें समझौता आज्ञप्ति 06.05.1971 को पारित की गई थी और यह भी साबित करता है कि उस समय तक उक्त संपत्ति के संबंध में अभिकथित हुक्मनामा और जमींदारी रसीदें अस्तित्व में नहीं थीं। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वादी ने इस तथ्य को जानते हुए कि उनके पास स्वामित्व या कब्जे का कोई कागज नहीं है, नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करके अपने पक्ष में साक्ष्य बनाने की कोशिश की। अधिवक्ता-आयुक्त और विद्वान विचारण न्यायालय

ने इसकी अनुमति तब दी जब 2013 के स्वामित्व वाद सं. 433 में अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब मुद्दों का निपटारा किया जाना बाकी था और केवल दलीलें अभिलेख पर आई थीं। हालाँकि, जब प्रतिवादियों/याचिकाकर्ता द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था, तो वादी ने अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति के लिए अपना आवेदन दायर किया और कानून के प्रावधानों के खिलाफ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति दी गई क्योंकि किसी भी पक्ष को अधिवक्ता-आयुक्त के माध्यम से उनके पक्ष में साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश संधारण योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी प्रथम समूह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बाद में दिनांक 14.02.2017 के विवादित आदेश को अपने बाद के आदेश दिनांक 22.09.2017 के माध्यम से उपांतरित किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि गलती से वाद संपत्ति पर अधिकारों और कब्जे के संबंध में जांच के प्रतिवेदन बुलाने का शब्द आदेश पत्र में टंकित हो गया है, जबकि अधिवक्ता-आयुक्त के जांच प्रतिवेदन के लिए निर्देश दिया गया है। जबकि, निर्देश केवल आवेदन में वादी द्वारा दिए गए बिंदुओं पर जांच करने का था और विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे शब्दों को हटाने का आदेश दिया जो वाद संपत्ति के अधिकारों और कब्जे के संबंध में प्रतिवेदन के लिए बुलाने से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 14.02.2017 और 22.09.2017 के आदेशों के अनुपालन में, क्रमशः विद्वान अधिवक्ता-आयुक्त पहले ही 16.01.2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। उक्त प्रतिवेदन में यह वादग्रस्त भूमि के भौतिक सत्यापन के बाद आया है कि विवादित भूखंड के पश्चिम और दक्षिण में वादी का भवन और 'साहन' है और वादी का ट्रैक्टर और ट्रेलर भी वाद भूखंड पर पाया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि हीरा प्रसाद सिंह द्वारा निष्पादित 16.12.1935 के और प्रतिवादी प्रथम समूह के पिता के पक्ष में राम किंकर प्रसाद सिंह द्वारा निष्पादित 18.11.1936, के हुकुमनामा वास्तविक दस्तावेज हैं और किसी भी मामले में अधिकार और स्वामित्व का फैसला पूर्ण विचारण के बाद हीं तय

किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश में कोई आशक्ति नहीं है और इसे कायम रखने की आवश्यकता है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं.4 -8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान किराया रसीदें उत्तरदायी प्रतिवादियों के नाम पर जारी की गई हैं और जमाबंदी उनके नाम मौजूद थी और इस आशय की एक प्रतिवेदन संबंधित सरकारी अधिकारियों, अंचल अधिकारी और मंडल निरीक्षक द्वारा दी गई है और यह तथ्य विद्वान अनुमंडल अधिकारी, दानापुर के प्रतिवेदन में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक कार्यवाही में उल्लेखित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रेषित किये गये तर्क के साथ करार में हैं और उसी को स्वीकार कर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश संधारण योग्य नहीं है क्यों कि इसे विधि द्वारा स्थापित प्रस्ताव के खिलाफ पारित किया गया है।

6. मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुति पर गहन विचार किया है।

7. अभिलेख का अवलोकन किया।

8. स्पष्टतः, स्वामित्व वाद प्रारंभिक चरण में है, लेकिन विवादित आदेश से यह स्पष्ट है कि मुद्दों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं किया गया है और वाद संपत्ति के संबंध में पक्षों का दावा और प्रतिदावा है और दोनों पक्ष वाद संपत्ति के सम्बन्ध में अपने अधिकार, स्वामित्व और कब्जे का दावा करते हैं।

9. संहिता का आदेश 26 नियम 9 निम्नानुसार हैः

> "9. *किसी ऐसे वाद में जिसमें न्यायालय किसी विवादग्रस्त मामले को स्पष्ट करने के लिए या किसी संपत्ति के बाजार मूल्य, या किसी भी अन्तःस्थायी लाभ या क्षति या वार्षिक शुद्ध लाभ की राशि का पता लगाने के उद्देश्य से स्थानीय जांच को आवश्यक या उचित समझता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को,जिसे वह उचित समझे एक आयोग जारी कर सकता है जिसमे उसे ऐसी जांच करने और उसके बारे में न्यायालय को प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया जाएगा।*

बशर्ते कि, जहां राज्य सरकार नें ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं जिनके लिए ऐसा आयोग जारी किया जाएगा, न्यायालय ऐसे नियमों से आबद्ध होगा।"

10. प्रावधान के शाब्दिक व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय द्वारा किसी भी विवादग्रस्त मामले को स्पष्ट करने के उद्देश्य से स्थानीय जांच का आदेश दिया जा सकता है यदि वह इसे आवश्यक या उचित समझता है। चूंकि प्रारंभिक चरण में अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया है, जब न्यायालय के लिए इस तरह के मुद्दे को स्पष्ट करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए विवादित आदेश निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगा। वादी ने आस-पास के घरों के साथ रेत, 'गनौरा', ट्रैक्टर, नाली के पानी के प्रवाह आदि के भंडारण के बारे में विस्तृत विवरण के साथ वाद भूखण्ड की विस्तृत भौतिक विशेषताओं का निरीक्षण, सत्यापन और प्रतिवेदन करने के लिए अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति की मांग की और इसे स्केच मानचित्र में दिखाने के लिए कहा। आवेदन मुद्दों के निर्धारण से पहले किया गया था। जब पक्षकारों से अपने दावे के बारे में मुद्दों के निर्धारण के बाद साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जाती है और जब तक कि कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसे न्यायालय द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, तो अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति उचित नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक पक्ष को अपने स्वयं के साक्ष्य के आधार पर अपना मामला साबित करना पड़ता है और पक्ष अपनी ओर से साक्ष्य एकत्र करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति के लिए तत्काल आवेदन दाखिल करना केवल इसी उद्देश्य की ओर एक प्रयास प्रतीत होता है। और इसकी सराहना नहीं की जा सकती।

11. ***ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 218*** में प्रतिवेदित ***पदम सेन एवं अन्य बनाम यू. पी. राज्य,*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करने की पक्षों की प्रवृत्ति की निंदा की है और अभिनिर्धारित किया है कि एक पक्ष के पक्ष में साक्ष्य एकत्र करना न्यायालय का कार्य नहीं है। इसलिए, कब्जे के तथ्य के विवादित प्रश्न की जांच से संबंधित मामले में, स्थानीय जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा पक्ष को साक्ष्य एकत्र करने में सहायता करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जहां पक्ष स्वयं साक्ष्य एकत्र कर सकता है।

12. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, मेरी राय है कि विवादित आदेश संधारण योग्य नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार की एक त्रुटि है और इसलिए, दिनांक 14.02.2017 के विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है।

13. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

अनुराधा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।